न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–पीयुष समारिया, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –256/2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2022/315

अपीलान्ट — **बनाम** — **रेस्पोडेन्ट**

हरिप्रसाद पुत्र स्व. श्री अणदाराम जाति नाई (टाक) निवासी खींवसर हाल निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर।

तहसीलदार, नागौर

उपस्थिति :–

1. **अपीलान्ट की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश सैन।**
2. **रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।**

आदेश — **दिनांक : 13-7-2023**

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मौजा नागौर, तहसील नागौर का म्यूटेशन संख्या 1958 जो तहसीलदार नागौर द्वारा दिनांक 04.12.2014 को स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 07.09.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उक्त मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्ट्स् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

राजपैरोकार ने कथन किया कि प्रकरण में मूल नामान्तरकरण संख्या–1958 में अंकित नोट में पत्रावली संख्या–14/2014 के स्थान पर सेवन से पत्रावली संख्या–13/2014 अंकित कर दी गई है। उक्त संबंध में तहसीलदार नागौर द्वारा अपने पत्रांक–भू.अ./2023/1421 दिनांक 09.03.23 से उक्त नामान्तरकरण से संबंधित मूल पत्रावली भिजवाई है, जिस पर पत्रावली संख्या–14/2014 अंकित है, तथा तहसीलदार नागौर ने भी अपने उक्त पत्र दिनांक 09.03.23 में मूल नामान्तरकरण संख्या–1958 में अंकित नोट में पत्रावली संख्या–14/2014 के स्थान पर सेवन से पत्रावली संख्या–13/2014 अंकित कर दी जाना अवगत करवाया है। अतः मूल नामान्तरकरण संख्या–1958 में अंकित नोट में पत्रावली संख्या–13/2014 के स्थान पर पत्रावली संख्या–14/2014 पढ़े जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार के उक्त कथन के संबंध में मूल नामान्तकरण संख्या–1958 एवं तहसीलदार नागौर के पत्र दिनांक 09.03.2023 एवं उक्त पत्र के साथ प्रेषित मूल पत्रावली का अवलोकन किया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल नामान्तरकरण संख्या–1958 में अंकित नोट में पत्रावली संख्या–14/2014 के स्थान पर सेवन से पत्रावली संख्या–13/2014 अंकित कर दी गई है। अतः राजपैरोकार का कथन उचित होने से हस्तगत प्रकरण में मूल नामान्तरकरण संख्या–1958 में अंकित नोट में पत्रावली संख्या–13/2014 के स्थान पर पत्रावली संख्या–14/2014 पढ़ा जाकर आगामी बहस सुनी जाना उचित है।

कलक्टर नागौर

राजपैरोकार ने हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के सुनवाई के क्षेत्राधिकार की नहीं होने का कथन करते हुए सर्वप्रथम हस्तगत अपील के सुनवाई के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर बहस सुनी जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के सुनवाई के क्षेत्राधिकार की नहीं होने का कथन किया है। इसलिए हस्तगत अपील की सुनवाई के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वकुलाय की बहस सुनी जाना उचित है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवाई के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2014 दर्ज कर उक्त नामान्तरकरण संख्या–1958 दिनांक 05.11.14 का पुनरावलोकन कर अपने निर्णय दिनांक 04.12.14 की पालना में नामान्तकरण संख्या–1958 को दिनांक 04.12.2014 को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट ने हस्तगत अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार (भू.अ.), नागौर द्वारा म्यूटेशन संख्या 1958 दिनांक 5.11.2014 को निरस्त करने का आदेश दिनांक 4.12.2014 को निरस्त करने का निवदेन किया है। उक्त संबंध नामान्तरकरण के संबंध में न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा आयुक्त नगर परिषद नागौर द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.11.2014 के द्वारा मौजा नागौर के खसरा नम्बर 1426/620 जिसके नये खसरा नम्बर 1631/1426 रकबा भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1958 दिनांक 05.11.14 को स्थानीय निकाय नगर परिषद नागौर (धारा 90क के तहत निर्वापित भूमि) गै.मु. आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज की गई। उक्त खसरा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार से प्रभावित होना बताते हुए इस खसरे में पट्टा जारी करने संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2014 नगर परिषद नागौर बनाम श्री हरिप्रसाद दर्ज कर प्रार्थी व अप्रार्थी को नोटिस जारी कर कार्यवाही करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1958 पर पारित आदेश दिनांक 05.11.2014 का पुनरावलोकन कर नामान्तकरण संख्या–1958 अपास्त किया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण जैर अपील दिनांक 04.12.2014 विवादित है एवं विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होकर न्यायालय माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

वकील अपीलान्ट ने राजपैरोकार की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि नामान्तकरण जैर अपील कतई विवादित नामान्तकरण नहीं है। इसलिए न्यायालय हाजा को हस्तगत अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना पूर्णतया उचित होने का कथन करते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील की विधिवत सुनवाई करने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2014 दर्ज कर उक्त नामान्तरकरण संख्या–1958 दिनांक 05.11.14 का धारा 86(2) आर.एल.आर. एक्ट के तहत पुनरावलोकन कर अपने निर्णय दिनांक 04.12.14 की पालना में उक्त नामान्तकरण संख्या–1958 को दिनांक 04.12.2014 को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट ने हस्तगत अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार (भू.अ.), नागौर द्वारा म्यूटेशन संख्या 1958 दिनांक 5.11.2014 को निरस्त करने का आदेश दिनांक 4.12.2014 को निरस्त करने का निवदेन किया है। उक्त संबंध नामान्तरकरण के संबंध में न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा आयुक्त नगर परिषद नागौर द्वारा अपने पत्रांक–5962 दिनांक 18.11.2014 के द्वारा मौजा नागौर के खसरा नम्बर 1426/620 जिसके नये खसरा नम्बर 1631/1426 रकबा 0.01.08 बीघा भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1958 दिनांक 05.11.14 को स्थानीय निकाय नगर परिषद नागौर (धारा 90क के तहत निर्वापित भूमि) गै.मु. आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज की गई। उक्त खसरा अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार से प्रभावित होना

कलक्टर नागौर

बताते हुए इस खसरे में पट्टा जारी करने संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। जिसके संबंध में न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2014 नगर परिषद नागौर मार्फत आयुक्त नगर परिषद नागौर बनाम श्री हरिप्रसाद पुत्र अणदाराम जाति नाई सा. नागौर दर्ज कर प्रार्थी व अप्रार्थी को नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1958 पर पारित आदेश दिनांक 05.11.2014 का पुनरावलोकन कर नामान्तकरण संख्या–1958 अपास्त किया है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर की उक्त कार्यवाही से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण जैर अपील दिनांक 04.12.2014 विवादित नामान्तकरण है एवं विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई की जाना विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सुनवाई के क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज की जाती है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने हेतु स्वतन्त्र है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल नामान्तकरण एंव मूल पत्रावली लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर